प्रगति ग्रामीण विकास संस्था
सामुदायिक ग्रेन बैंक – भाण्डवा

परिचय :–

प्रगति ग्रामीण विकास संस्था बैतूल पैक्स कार्यक्रम के अन्तर्गत भीमपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के 10 ग्रामों में कार्य कर रही हैं ।

बैतूल जिले का भीमपुर जनपंद पंचायत क्षेत्र आदिवासी विकासखण्ड के नाम से जाना जाता हैं जिसे शासकीय कर्मचारी कालापानी के नाम से जानते हैं । यहॉ का क्षेत्र पहाड़ी, पथरीला एवं कृषि में एक फसल उत्पादन वाला हैं । बरसात के तीन महीनों में गरीब परिवारेां के पास खाने के लिए अनाज नही रहता हैं । इस कारण ये गरीब लोग जीवन जीने के लिए सेठ–साहूकारेां, महाजनों से अनाज एवं नगद राशि उधार लेते हैं, जिसकी ब्याज दर अधिक होती हैं । जिससे गरीब परिवारों को गिरवी के रूप में खेत, मकान, बकरी, बैंल बर्तन, गहने, कम रेट में अनाज का मूल्य तय करना एवम् आदमी गिरवी रखने जैसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं । इन सारी समस्याओं को देखते हुए प्रारंभिक दौर में संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामों में सम्पर्क किया गया तथा लोगों के साथ बैठक, आपसी विचार–विमर्श किये गये कि किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान किया जाय इस संदर्भ में संस्था के तरफ से सुझाव बताए गए कि अनाज कोष व नगद–कोष की स्थापना करने से समस्याओं का समाधान किया जा सकता हैं ।

प्रक्रिया :– पैक्स कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामों से समुदाय द्वारा प्रेरक का चयन किया गया और उस प्रेरक को प्रगति ग्रामीण विकास संस्था द्वारा 2 दिन का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें पोषित जीविका मध्यस्थ परियोजना की गतिविधियों की जानकारी तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून और येाजना एवम् ग्राम स्वराज पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम कोष में अनाज कोष, नगद कोष श्रम कोष एवं वस्तु कोष बनाने संबंधी जानकारी दी गई ।

ग्राम कोष :– अनाज व नगद कोष

:– ग्राम के प्रेरक को दो दिवसीय प्रशिक्षण

ग्राम के प्रमुख लोगों से चर्चा व सम्पर्क :– ग्राम का मुखिया, सरपंच, सचिव, पंच, जनप्रतिनिधि, स्कूल के शिक्षक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार, वनविभाग के स्थानीय कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अन्य सभी लोगों से चर्चा कर व घर–घर सम्पर्क कर अनाज कोष व नगद कोष के संबंध में ग्राम सभा की तारीख तय की गई ।

दीवार लेखन :– ग्राम तथा ढानों के मकानों पर क्षेत्रीय भाषा में दीवार लेखन किया गया व चौराहों पर विशेष नारे लिखे गये ।

मुनादी / ड़ोडी लेखन :– ग्राम कोटवार द्वारा दिनांक 31/11/06 को सुबह ग्राम भाण्डवा में डौंडी पिटवाकर समस्त ग्राम वासियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 06/12/06 को दिन बुधवार समय 12:00 बजे ग्राम के चौपाल पर ग्राम कोष गठन के संबंध में ग्राम सभा का आयेाजन रखा गया हैं जिसमें सभी ग्रामवासियों को उपस्थित होना अनिवार्य हैं ।

रैली :– सभी ग्रामवासियों के इकट्ठा हो जाने के बाद ग्राम कोष जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें सबसे पहले नाचने वाले फिर बाजे वाले फिर बच्चे–महिलाऍ एवं पुरूष कतारबद्ध चल रहे थे। रैली द्वारा ग्राम में तथा सभी ढानों में भ्रमण किया गया और रैली के माध्यम से शेष बचे लोग घरेां से निकलकर रैली में शामिल हुए और भ्रमण के बाद रैली चौपाल पर वापस आई जहॉ ग्रामवासियों द्वारा सामूहिकरूप से महिला–पुरूष व बच्चों ने लोक नृत्य की सुन्दर प्रस्तुति दी जिसमें उनकी संस्कृति की झलक मिली ।

ग्राम सभा का आयोजन :– ग्राम सभा में ग्रामवासियें द्वारा ग्राम सभा अध्यक्ष श्री भादाजी को मनोनीत किया गया जिसके पश्चात् ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

सर्वप्रथम प्रगति ग्रामीण विकास संस्था भीमपुर जिला बैतूल के संचालक प्रमोद कुमार नाईक द्वारा स्वयं का व संस्था सहयेागियों का परिचय दिया गया और उसके पश्चात् पोषित जीविका मध्यस्थ परियोजना पैक्स कार्यक्रम की गतिविधियों के संबंध में प्रकाश डाला।

परियोजना के उद्देश्य :– आत्मनिर्भर समुदाय आधारित समूहो का परियोजना अवधि तक गठन करना जिससे गरीब परिवारेां की निरंतर खाद्यान्न सुरक्षा एवं आयर्जन सुनिश्चित हो इस बारे में सरलता से समझाते हुए अनाज कोष व नगद कोष बनाने की बात रखी ।

अनाज कोष व नगद कोष की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया :–

01. गांव में कोई भी गरीब परिवार का सदस्य भूखा ना सोए ।
02. गरीब परीवार की आपात कालीन स्थिति जैसे किसी का बच्चा बीमार हो जाए, किसी की मॉ व पिता बीमार हो जाए, किसी की पत्नी बीमार हो जाए किसी का भाई बीमार हो जाए एवम् प्राकृतिक आपदाओं जैसे – किसी का मकान जल जाए, खेत की फसल जल जाए, बाढ़–भूकम्प आदि समस्याओं में ग्रामकोष से सरलता से मदद ली जा सकती हैं ।
03. कृषि कार्यो में खाद–बीज, निदांई–गुडाई व अन्य आय–अपार्जन गतिविधियों के लिए ग्राम कोष से मदद ली जा सकती हैं ।
04. सामाजिक आवश्यकता जैसे – शादी, मृत्यु, जन्मोत्सव इत्यादि एवम् धार्मिक कार्यो (देव काम) के लिए सरलता से ग्राम कोष से सहयोग या सहायता ली जा सकती हैं ।
05. ग्राम के किसी भी व्यक्ति को बैल, बकरी, जमीन बरतन, गहने आदमी और इज्जत गिरवी ना रखना पड़ें ।
06. घर परिवार को छोड़कर दो जून की रोटी के लिये पलायन नही करना पडेंगा ।

ग्राम कोष बनाने से लाभ :–

01. गरीब परिवारेां की जान की रक्षा होगी ।
02. कम ब्याज पर ऋण उपलबध होगा अनाज व रूपया ।
03. पलायन में कमी आएगी जिससे विशेषकर महिलाओं का शारीरिक शोषण नही होगा ।
04. ग्रामवासियों की खाद्यान्न पूर्ति संबंधी समस्या का समाधान होगा जिससे वे स्वंय के आर्थिक विकास को गति देंगे ।
05. सेठ–साहूकार सवं महाजनों के चुंगल से मुक्ति मिलेगी ।

इसके उपरान्त ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासियों ने आपस में चर्चा की जिसमें विचार निकला की ग्राम में **अनाज कोष एवं नगद कोष का गठन** किया जाए तथा इसके संचालन के लिये एक **समिति का गठन** भी किया जाए । तदुपरांत उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों में से **11** व्यक्तियों (**4** महिला व **7** पुरूषों) का चयन किया गया एवं चयनित समीति सदस्यों में से अध्यक्ष एवम् सचिव को चयनित किया गया ।

ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक घर से वर्ष में 2 बार, मक्का एवं गेहूं की फसल आने पर 2 किलो अनाज एवं 5 रूपये नगद जमा करेंगे तथा अनाज कोष से ऋण देने पर 8 पाई अनाज पर 2 पाई ब्याज छः माह के लिए एवं नगद कोष से 100 रूपये ऋण देने पर 2 रूपये प्रतिमाह की दर से ब्याज लेने का निर्णय लिया गया । नगद जमा राशि को रखने के लिये **राष्ट्रीकृत बैंक में समीति का खाता** खोलने व लेन देन करने के लिए **अध्यक्ष व सचिव को अधिकृत किया** गया । इन सारी प्रक्रियाओं को प्रस्ताव में लेकर सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

उसके पश्चात् अनाज कोष में अनाज व नगद कोष में नगद राशि जमा करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हुई ।